



# HAMIRPUR POLICE



थाना राठ

दिनांक 06.03.2023

## 20 ग्राम स्मैक (कीमत लगभग ₹2,0000/-दो लाख रुपये) व स्विफ्ट कार के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.03.2023 को थाना राठ पुलिस द्वारा एक शातिर अपराधी अंशु उर्फ आशीष राजपूत पुत्र नन्दकिशोर राजपूत निवासी मसगांव थाना राठ जनपद हमीरपुर को 20 ग्राम स्मैक (कीमत लगभग 02 लाख रूपये) व एक अदद स्विफ्ट डिजायर कार के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अंशु उर्फ आशीष शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद,सीमावर्ती जनपदों व राज्यों में हत्या के प्रयास,छेड़खानी, गैंगेस्टर, लूट आदि गंभीर धाराओं कुल 21 अभियोग पंजीकृत हैं।

### आपराधिक इतिहास अंशु उर्फ आशीष राजपूत पुत्र नन्दकिशोर राजपूत

- 1)मु0अ0सं0 63/22 धारा 380/411/457 भादसं थाना राठ
- 2)मु0अ0सं0 134/18 धारा 307/399/402 भादसं थाना राठ
- 3)मु0अ0सं0 197/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना राठ
- 4)मु0अ0सं0 54/21 धारा 392 भादसं थाना महोबा
- 5)मु0अ0सं0 04/21 धारा 392/411 भादसं थाना पनवाड़ी
- 6)मु0अ0सं0 22/21 धारा 147/148/149/307/323/427/504/506 भादसं व 7 सीएलए थाना पनवाड़ी
- 7)मु0अ0सं0 31/21 धारा 354क/504 भादसं व 3(1)ध/3(2)5/3(1)w(1) SC/ST ACT थाना पनवाड़ी
- 8)मु0अ0सं0 43/21 धारा 307 भादसं थाना पनवाड़ी
- 9)मु0अ0सं0 044/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पनवाड़ी
- 10)मु0अ0सं0 61/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना पनवाड़ी
- 11)मु0अ0सं0 249/20 धारा 406 भादसं थाना पनवाड़ी
- 12)मु0अ0सं0 04/22 धारा 307 भादसं थाना महोबकण्ठ
- 13)मु0अ0सं0 05/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना महोबकण्ठ
- 14)मु0अ0सं0 168/21 धारा 380/411/457 भादसं थाना महोबकण्ठ
- 15)मु0अ0सं0 215/17 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना महोबकण्ठ
- 16)मु0अ0सं0 105/20 धारा 411/413/420/467/468/471 भादसं थाना मुस्करा
- 17)मु0अ0सं0 96/20 धारा 392/411/120बी भादसं थाना मुस्करा
- 18)मु0अ0सं0 208/20 धारा 2बी(2)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मुस्करा
- 19)मु0अ0सं0 148/19 धारा 307/323/504 भादसं थाना मझगवां
- 20)मु0अ0सं0 8/23 धारा 34(2) म0प्र0 आबकारी अधि0 व 25/7 आर्म्स एक्ट थाना हरपालपुर, छतरपुर (म0प्र0)
- 21)मु0अ0सं0 89/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर



### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1)उपनिरीक्षक शिवदानसिंह थाना राठ
- 2)कॉन्स्टेबल अनिल कुमार थाना राठ
- 3)कॉन्स्टेबल मनीष पाल